रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16092025-266188
CG-DL-E-16092025-266188

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 594]	**नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 16, 2025/भाद्र 25, 1947**
No. 594]	**NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 16, 2025/BHADRA 25, 1947**

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2025

सा.का.नि. 638(अ).—केन्द्रीय सरकार, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का संख्यांक 66) की धारा 18 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , गृह मंत्रालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के पशुचिकित्सीय संवर्ग में निरीक्षक (पशु-चिकित्सा) और उप निरीक्षक (पशु-चिकित्सा) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, पशुचिकित्सीय संवर्ग (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2025 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. परिभाषाएँ. (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "महानिदेशक" से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक अभिप्रेत है;

(ख) "शेप-1" से तत्समय यथासंशोधित दिनांक 05 अप्रैल, 2008 के केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थायी आदेश 2008 का संख्यांक 04 के अधीन यथानिर्दिष्ट चिकित्सा श्रेणी अभिप्रेत है।

(2) इसमें प्रयुक्त और अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का संख्यांक 66) और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम, 1955 में समनुदेशित किए गए हैं।

3. लागू होना- ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।

4. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- पदों की संख्या , उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

6. निरर्हता- वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. अनुरक्षण- प्रत्येक रिक्त पद और तत्पश्चात् उत्पन्न होने वाली प्रत्येक रिक्ति उक्त अनुसूची में यथानिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथानिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार भरी जाएगी।

8. वरिष्ठता- केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल नियमावली, 1955 और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत सामान्य अनुदेशों के अनुसार वरिष्ठता का विनियमन किया जाएगा।

9. भारत के गैर-नागरिकों की अपात्रता- कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, केन्द्रीय सरकार की लिखित पूर्वानुमति के बिना, इन नियमों के अधीन नियुक्त नहीं किया जाएगा:

परंतु यह कि इस नियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात बल में नेपाल या भूटान के किसी प्रजा को नियुक्ति अथवा नियोजन से वर्जित नहीं करेगी।

10. अधिवर्षिता- (1) इन नियमों के अधीन नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति उस माह के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा, जिस माह में वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त करता है या करती है अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथा विहित आयु पर सेवानिवृत्त होगा:

परन्तु यदि किसी व्यक्ति की जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख है, तो वह उस मास के, जिसमें वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त करता है, पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा।

(2) उप-नियम (1) में यथा विनिर्दिष्ट अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति की विहित आयु के पश्चात्, किसी भी व्यक्ति को सेवा में विस्तार नहीं दिया जाएगा।

11. सेवा का दायित्व- इन नियमों के अधीन उक्त पद पर नियुक्त व्यक्ति पर भारत में कहीं भी अथवा विदेश में सेवा करने का दायित्व होगा।

12. निर्वचन- यदि इन नियमों के निर्वचन से संबंधित कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो वह निर्णय के लिए केन्द्रीय सरकार को संदर्भित किया जाएगा।

13. शिथिल करने की शक्ति- जहां केंद्रीय सरकार का यह समाधान होता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

14. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध कराना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम.	**पदों की संख्या.**	**वर्गीकरण.**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन पद या अचयन पद**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.निरीक्षक (पशु-चिकित्सा)	3 * (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है ।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, योद्धक	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 7 (44,900-1,42,400 रुपए)	चयन

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो
(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता।

भर्ती की पद्धति- भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा, यदि विफल रही, तो प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रोन्नति:** (क) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (35,400-1,24,300 रु.) में केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल के उप निरीक्षक (पशुचिकित्सा) से प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने इस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और जिसने केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित प्रोन्नति पूर्व पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया हो; और (ख) अभ्यर्थी चिकित्सकीय दृष्टि से शेप-1 श्रेणी में होने चाहिए। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति:** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के अधिकारी-

	(क) (i) जो नियमित आधार पर मूल संवर्ग या विभाग में सदृश पद धारण कर रहे हैं ; अथवा (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35,400-1,12,400 रु.) या समतुल्य पद में नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो, अर्थात् :- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पशु चिकित्सा स्टॉक सहायक डिप्लोमा पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण; और (ii) किसी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के पशु चिकित्सालय में विभिन्न प्रजातियों के पशुओं विशेषकर अश्व और श्वान के उपचार में तीन वर्ष का क्षेत्र अनुभव हो तथा पशु चिकित्सालय अथवा औषधालय का प्रबंधन अथवा संचालन करने में सक्षम हो। **टिप्पण 1.-** पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2.-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3.-** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	**(13)**
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति ,(प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए)जिसमें निम्नलिखित होंगे -: 1. महानिरीक्षक अथवा निदेशक (चिकित्सा) अथवा महानिरीक्षक (चिकित्सा), केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल - अध्यक्ष; 2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चयन ग्रेड) या कमांडेंट (चिकित्सा) या कमांडेंट (पशु-चिकित्सा), केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल - सदस्य; 3. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी अथवा उप कमांडेंट (चिकित्सा) या उप कमांडेंट या सहायक कमांडेंट (पशु-चिकित्सा), केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल - सदस्य।	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. उप-निरीक्षक (पशु-चिकित्सा)	5 * (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है ।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, योद्धक	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35,400-1,12,400)	चयन

(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	दो साल।

(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा, यदि विफल रही, तो प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोन्नति: (क) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 5 (29,200-92,300 रु.) में केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल के सहायक उप निरीक्षक (पशुचिकित्सा) से प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने इस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो और जिसने केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित प्रोन्नति पूर्व पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया हो; और (ख) अभ्यर्थी चिकित्सकीय दृष्टि से शेप-1 श्रेणी में होने चाहिए। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति:** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के अधिकारी (क) (i) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; अथवा (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 5 (29,200-92,300 रु.) या समतुल्य पद में नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर उस श्रेणी में छह वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो, अर्थात् :-

	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पशु चिकित्सा स्टॉक सहायक डिप्लोमा पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण; और (ii) किसी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के पशु चिकित्सालय में विभिन्न प्रजातियों के पशुओं विशेषकर अश्व और श्वान के उपचार में तीन वर्ष का क्षेत्र अनुभव हो तथा पशु चिकित्सालय अथवा औषधालय का प्रबंधन अथवा संचालन करने में सक्षम हो। **टिप्पण 1.-** पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2.-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3.-** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति ,(प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए)जिसमें निम्नलिखित होंगे -: 1. चिकित्सा अधीक्षक अथवा उप महानिरीक्षक (चिकित्सा), केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल - अध्यक्ष; 2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चयन ग्रेड) अथवा कमांडेंट (चिकित्सा) अथवा कमांडेंट (पशु-चिकित्सा), केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल - सदस्य; 3. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी अथवा उप कमांडेंट (चिकित्सा) अथवा उप कमांडेंट अथवा सहायक कमांडेंट (पशु-चिकित्सा), केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल - सदस्य।	लागू नहीं होता।

समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति ,(पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए)जिसमें निम्नलिखित होंगे -: 1. चिकित्सा अधीक्षक अथवा उप महानिरीक्षक (चिकित्सा), केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल - अध्यक्ष; 2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चयन ग्रेड) अथवा कमांडेंट (चिकित्सा) अथवा कमांडेंट (पशु-चिकित्सा), केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल - सदस्य; 3. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी अथवा उप कमांडेंट (चिकित्सा) अथवा उप कमांडेंट या सहायक कमांडेंट (पशु-चिकित्सा), केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल - सदस्य।	

[फा.सं. आर.नौ-1/2025-संगठन (पशु-चिकित्सा संवर्ग)]

अनिल कुमार प्रधान, उप सचिव (पी-II)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2025

`G.S.R. 638(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18 of the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Inspector(Veterinary) and Sub-Inspector (Veterinary) of Veterinary Cadre, in the Central Reserve Police Force, Ministry of Home Affairs, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Central Reserve Police Force, Veterinary Cadre (Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Director General" means the Director General, Central Reserve Police Force;

(b) "SHAPE-I" refers to the medical category as specified under the Central Reserve Police Force Standing Order No. 04 of 2008 dated the 15th December, 2008 as amended from time to time.

(2) Words and expressions used herein and not defined shall have the same meanings assigned to them in the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949), and the Central Reserve Police Force Rules, 1955.

3. Application.— These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

4. Number of posts, classification and level in pay matrix.— The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

5. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

6. Disqualification.— No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. Maintenance.— Every post remained unfilled and every vacancy that may arise thereafter shall be filled in accordance with the provisions as specified in the said Schedule and the procedure as may be specified by the Central Government from time to time.

8. Seniority.— The seniority shall be regulated in accordance with the Central Reserve Police Force Rules, 1955, and general instructions issued by the Central Government from time to time.

9. Ineligibility of non-citizens of India.— No person, who is not a citizen of India shall, except with the prior permission of the Central Government in writing, be appointed under these rules:

Provided that nothing contained in this rule shall debar the appointment or employment of a subject of Nepal or Bhutan in the Force.

10. Superannuation.— (1) Every person appointed under these rules shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he or she attains the age of sixty years or as per prescribed by the Central Government from time to time:

Provided that a person whose date of birth is on the first day of a month, shall retire from service in the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of sixty years or superannuation.

(2) No person shall be granted extension in service beyond the prescribed age of retirement on superannuation as specified in sub-rule(1).

11. Liability of service.— Any person, appointed to the said post under these rules shall be liable to serve anywhere in India or abroad.

12. Interpretation.— If any question relating to the interpretation of these rules arises, it shall be referred to the Central Government for decision.

13. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

14. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Inspector (Veterinary).	3 * (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group ‘B’, Non Gazetted, Non-Ministerial, Combatised.	Level- 7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400).	Selection.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(10)	(11)
By promotion, failing which by deputation.	**Promotion:** (a) Promotion from Sub-Inspector (Veterinary) of the Central Reserve Police Force in level-6 in the pay matrix (35400-112400) with five years regular service in grade and having successfully completed pre-promotional course as prescribed by the Central Government; and (b) the candidates shall be in medical category SHAPE-1.

	Note.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations,- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service rendered after appointment to the post on regular in level-6 in the pay matrix (35400-112400) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:- (i) pass in Veterinary Stock Assistant diploma's course from a recognised University or institute; and (ii) three years field experience in the treatment of various species of animals particularly equine and canine from any Central Government or State Governments or Union territory Administrations veterinary hospital and able to manage or run veterinary hospital or dispensary. **Note1.-** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similar, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note2.-** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note3.-** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of:- 1. Inspector General or Director (Medical) or Inspector General (Medical), Central Reserve Police Force - Chairman; 2. Chief Medical Officer (Selection Grade) or Commandant (Medical) or Commandant (Veterinary), Central Reserve Police Force - Member; 3. Senior Medical Officer or Deputy Commandant (Medical) or Deputy Commandant or Assistant Commandant (Veterinary), Central Reserve Police Force - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Sub-Inspector (Veterinary)	5 * (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non Gazetted, Non-Ministerial, Combatised.	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400).	Selection.
(6)	(7)	(8)		(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.		Two years.
(10)		(11)		
By promotion, failing which by deputation.		**Promotion:** (a) Promotion from Assistant Sub-Inspector (Veterinary) of the Central Reserve Police Force in level-5 in the pay matrix (29200-92300) with six years regular service in grade and having successfully completed pre-promotional course as prescribed by the Central Government; and (b) the candidates shall be in medical category SHAPE-1. Note.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations.- (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii)with six years service rendered after appointment to the post on regular in level-5 in the pay matrix (29200-92300) or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:- (i) pass in Veterinary Stock Assistant diploma's course from a recognised University or institute; and (ii) three years field experience in the treatment of various species of animals particularly equine and canine from any Central Government or		

	State Governments or Union territory Administrations veterinary hospital and able to manage or run veterinary hospital or dispensary. **Note1.-** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similar, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note2.-** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note3.-** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Medical Superintendent or Deputy Inspector General (Medical), Central Reserve Police Force - Chairman; 2. Chief Medical Officer (Selection Grade) or Commandant (Medical) or Commandant (Veterinary), Central Reserve Police Force - Member; 3. Senior Medical Officer or Deputy Commandant (Medical) or Deputy Commandant or Assistant Commandant (Veterinary), Central Reserve Police Force - Member. Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Medical Superintendent or Deputy Inspector General (Medical), Central Reserve Police Force - Chairman; 2. Chief Medical Officer (Selection Grade) or Commandant (Medical) or Commandant (Veterinary), Central Reserve Police Force - Member; 3. Senior Medical Officer or Deputy Commandant (Medical) or Deputy Commandant or Assistant Commandant (Veterinary), Central Reserve Police Force - Member.	Not applicable.

[F. No. R.IX-1/2025-Org(Veterinary Cadre)]

ANIL KUMAR PRADHAN, Dy. Secy. (P-II)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA